न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली प्रार्थना–पत्र संख्या : 79 / 2023
जी0सी0एम0एस0 नं0 –2023 / 134

उनवान– छोटी देवी बनाम अर्जुन लाल आदि

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी बाबत वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर नंबर से कम किया जाने।

:: आदेश :: दिनांक :– 17/4/25

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 10 सीपीसी बाबत वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर नंबर से कम किया जाने पेश हुई। प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 3 कल्याण सिंह ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष कृषि भूमि ख0नं0 1421, 1422, 1423, 1424, 1630, 1631, 1662, 1663 कुल किता 8 कुल रकबा 5.48 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर के संबंध में बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ वाद पेश किया है तथा इसी कृषि भूमि के संबंध में मान0 न्यायालय के समक्ष इन्हीं पक्षकारान के मध्य दिनांक 21.04.2023 से ही वाद पत्र सं0 45 / 2023 उनवानी परमेश्वरलाल बनाम मदनलाल आदि विचाराधीन है तथा उक्त वाद पत्र के साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सं0 35 / 2023 बउनवानी परमेश्वर बनाम मदनलाल आदि विचाराधीन है, इसके अलावा एक वाद पत्र गोपीचन्द बनाम परमेश्वर आदि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 17.11.2022 से विचाराधीन है ,जिसमें भी अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सं0 96 / 2022 बउनवानी गोपीचन्द बनाम परमेश्वर आदि प्रस्तुत करके अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली थी। इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान ने आवेदन प्रस्तुतकर्ता एंव अन्य के विरूद्ध आपस में दुरभि संधी करके गिरोह बना रखा है जिसका एकमात्र कुउद्देश्य तथ्यों को छुपाकर विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके बार–बार अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया जाने का है। इसी क्रम में यह तीसरा वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है जो कि धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पूर्व वाद के विचाराधीन रहते चलने योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर बनाम मदनलाल आदि के दावा सं0 45 / 2023 विचाराधीन रहने तक इस वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर पत्रावली को नंबर से कम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने आवेदन पेश कर मान0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस वाद पत्र की कार्यवाही को परमेश्वर बनाम मदनलाल आदि दावा सं0 45 / 2023 के विचाराधीन रहते कार्यवाही को स्थगित किया जाकर नंबर से कम करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादिया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कृषि भूमि ख0नं0 1421, 1422, 1423, 1424, 1630, 1662, 1663 कुल किता 8 कुल रकबा 5.48 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर के संबंध में बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। वाकी सारे कथन कतई गलत, असत्य व निराधार होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रति0सं0 3 काफी चालाक एंव मुकदमेबाज व्यक्ति है तथा भूमाफिया गिरोह व काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने वादिया के परिवारजनों व अन्य प्रतिवादीगण से साज कर विवादग्रस्त भूमियों को पूर्व में ओने–पोने दामों में उक्त जमीन का कुछ हिस्सा कय कर रखा है। इस कारण उक्त कय शुदा भूमि की आड़ में वादिया के हक, हिस्से पर जबरन कब्जा कर उसके हक हिस्से की जमीन को हडपकर उसे बेदखल करने की कुचेष्टा में है। अगर प्रतिवादी सं0 3 अपने उक्त कुउद्देश्य में कामयाब हो गया तो वादिया के हक अधिकारों का कुठाराघात होगा। उक्त वर्णित कृषि भूमियों के संबंध में अन्य विचाराधीन प्रकरणों की कोई जानकारी नहीं है। यदि उक्त विवादग्रस्त भूमियों के संबंध में वाद सं0 45/2023 आवेदन सं0 35/2023 ओर उसके अन्य वाद एंव आवेदन विचाराधीन है तो उक्त दावों एंव आवेदनों में पक्षकार भिन्न व्यक्ति है तथा अनुतोष सहायताये भी भिन्न है। फिर भी माननीय न्यायालय न्यायहित में उचित समझे तो सभी प्रकरणों को एक साथ समेकित करके सुनवाई का आदेश प्रदान कर सकता है। केवल मात्र प्रति0सं0 3 द्वारा धारा 10 सीपीसी का कतई गलत असत्य एंव मनमानी तरीके से पेश किये गये प्रस्तुत आवेदन की आड में वादिया के दावे की कार्यवाही को स्थगित किया जाना कानूनी रूप से कतई संभव नहीं है। अपितु ऐसा करने से वादिया के अधिकारों के साथ गंभीर कुठाराघात होगा। विशेष कथन में अंकित किया है कि वादिया को उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमियों में अपने हक, हिस्से के पक्ष में वाद लाने का कानूनी रूप से हक, अधिकार हासिल है। इसी अनुरूप वादिया ने उक्त वाद पेश किया है, जिसको गुणावगुण अर्थात मेरीट पर सुना जाना उचित एंव आवश्यक है। जवाब आवेदन पेश कर प्रति0सं0 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन अं0 धारा 10 सीपीसी विशेष हर्जे–खर्चे सहित खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एंव प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी बाबत वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर नंबर से कम किया जाने, में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 1421, 1422, 1423, 1424, 1630, 1631, 1662, 1663 कुल किता 8 कुल रकबा 5.48 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर के संबंध में वादिया द्वारा बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ वाद पेश किया है तथा न्यायालय के समक्ष इन्हीं भूमियों एंव पक्षकारान के मध्य दिनांक 28.04.2023 से ही वाद पत्र सं0 45/2023 उनवानी परमेश्वरलाल बनाम मदनलाल आदि विचाराधीन है तथा उक्त वाद पत्र के साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सं0 35/2023 बउनवानी परमेश्वर बनाम मदनलाल आदि विचाराधीन है। इसके अलावा एक वाद पत्र गोपीचन्द बनाम परमेश्वर आदि

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 17.11.2022 से विचाराधीन है ,जिसमें भी अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सं0 96/2022 बउनवानी गोपीचन्द बनाम परमेश्वर आदि प्रस्तुत करके अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। इसी कम में यह तीसरा वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है जो कि सिविल प्रकिया 1908 की धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार समान भूमियों एंव समान पक्षकारों के मध्य पूर्व वाद के विचाराधीन रहते पश्चातवर्ती वाद पत्र चलने योग्य नहीं है इसलिए परमेश्वर बनाम मदनलाल आदि के दावा सं0 45/2023 विचाराधीन रहने तक इस वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर पत्रावली को नंबर से कम किया जाना न्यायालय न्यायहित में आवश्यक समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 कल्याण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी बाबत वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर नंबर से कम किया जाने, न्यायहित में स्वीकार किया जाकर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस वाद पत्र की कार्यवाही को परमेश्वर बनाम मदनलाल आदि दावा संख्या 45/2023 के विचाराधीन रहते कार्यवाही को स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner

दिनांक	आज्ञा पत्र
4/4/25	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा० पत्र 10 CPC पेश हुई। वकील आवेदक पक्ष 3 प्र०/ प्रकरण में [illegible] पुन: [illegible] प्रार्थना [illegible]। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा० पत्र 10 CPC दिनांक 17/4/25 को पेश हो। कलक्टर (मु.) सीकर
17/4/25	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा० पत्र 10 CPC पेश हुई। वकील आवेदक पक्ष 3 प्र०/ प्रार्थी/ प्रतिवादी नं० 3 कल्याण सिंह S.I.O. प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 10 CPC स्वीकार किया [illegible] के समक्ष विचाराधीन इस [illegible] कार्यवाही को [illegible] अपील/केस 45/2023 के [illegible] कार्यवाही को स्थगित किया [illegible] विचाराधीन रहते कार्यवाही को स्थगित [illegible] के आदेश किये जाते हैं। [illegible] निर्णय [illegible] पत्रावली [illegible]। पत्रावली [illegible] कार्यवाही [illegible] 45/2023 [illegible] को पेश हो। कलक्टर (मु.) सीकर